रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 1983/श्रावण 3, 1905

No. 278] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 1983/SRAVANA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1983

सा० का० नि० 585 (अ):—प्रपलायी अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच 29 अक्तूबर, 1901 की संधि, जिसमें दोनों देशों के बीच उस विषय के सम्बन्ध में तारीख 5 मार्च, 1907 और 30 मार्च, 1911 के कन्वेंशनों द्वारा तथा तारीख 30 मई, 1958 और 30 दिसम्बर, 1958 के पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा संशोधन किया गया था, भारत और बेल्जियम के बीच, तारीख 3 अगस्त, 1954 और 6 नवम्बर, 1954 के पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रभावी समझी जाती है और उक्त संधि निम्नलिखित का उपबंध करती है :—

"अनुच्छेद I—यह सहमति हुई है कि हिज ब्रिटेनिक मजेस्टी और हिज मजेस्टी दि किंग आफ दि बेल्जियन्स उनके अपने-अपने राजनयिक अभिकर्ताओं द्वारा उनके नाम में की गई अध्यपेक्षा पर, विद्यमान संधि में उल्लिखित परिस्थितियों और शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्तियों का परस्पर रूप से एक दूसरे को परिदान करेंगे जो अपेक्षा करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए और इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट, किसी अपराध के मुखिया या उपसाधक के रूप में अभियुक्त हैं या सिद्धदोष ठहराए जाएं और अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर पाए जाएं :—

1. हत्या (जिसके अंतर्गत वध, पितृहत्या, शिशु-हत्या, विष देना है), अथवा हत्या करने का, प्रयत्न या षड्यंत्र, ऐसे मामलों में जिनके संबंध में दोनों देशों ने विधियों द्वारा संयुक्त रूप से उपबंध किया है;

2. स्त्रियों का गर्भपात कराने के आशय से औषधियों देना या उपकरणों का उपयोग करना;

3. मानववध;

4. द्विविवाह;

5. (क) धन का कूटकरण या परिवर्तन, अथवा कूटकृत या परिवर्तित धन का चलाया जाना;
   (ख) विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी उपकरण,

औजार या इंजन को यह जानते हुए बनाना कि वह राज्य के सिक्के के कूटकरण के लिए, अनकूलित किया जाना है या आशयित है;

6. शिशुओं का परित्याग, उनका आरक्षित डाल दिया जाना या विधिविरुद्ध निरोध;

7. कूटरचना, कूटकरण अथवा जो कुछ कूटरचित, कूटकृत या परिवर्तित है, उसको परिवर्तित करना या उसका चलाया जाना;

8. रेलगाड़ी में व्यक्तियों को संकटापन्न करने के आशय से किया गया कोई विद्वेषपूर्ण कार्य;

9. गबन का चौर्य;

10. किसी जंगम वस्तु, धन, मूल्यवान प्रतिभूति या अन्य संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करना कि उसको गबन, चुराया या दुष्टतापूर्वक अभिप्राप्त किया गया है;

11. मिथ्या उपदेशों द्वारा धन, माल या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्राप्त करना;

12. दिवाला विधि के विरुद्ध दिवालियों द्वारा अपराध;

13. किसी उपनिहिती, बैंकर, अभिकर्ता, फेक्टर, न्यासी या निदेशक, अथवा किसी कंपनी के सदस्य या लोक अधिकारी द्वारा कपट जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दाण्डिक बनाया गया है,

14. बलात्संग:
सोलह वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के बारे में इंद्रिय ज्ञान या ऐसा इन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रयत्न जहां तक ऐसे कार्य ऐसे राज्य की जिससे ऐसी मांग की जाती है, विधि द्वारा दंडनीय हैं;
अशिष्ट हमला । तेरह वर्ष से कम आयु के किसी भी लिंग के बच्चों पर बिना हिंसा के अशिष्ट हमला;

15. अपहरण;

16. शिशुओं की चोरी करना;

17. व्यपहरण और मिथ्या कारावास;

18. सेंधमारी या गृह भेदन;

19. आग लगाना;

20. हिंसा सहित लूट (जिसके अंतर्गत अभित्रास है);

21. उद्दापन करने के आशय से, पत्र द्वारा या अन्यथा धमकियां;

22. अन्तरराष्ट्रीय विधि के अधीन जलदस्युता;

23. समुद्र में किसी जलयान को डुबाना या नष्ट करना, अथवा ऐसा करने का प्रयत्न या षडयंत्र करना;

24. खुले समुद्र में किसी पोत के फलक पर जीवन नष्ट करने या घोर शारीरिक अपहानि पहुंचाने के आशय से हमला;

25. खुले समुद्र में किसी पोत के फलक पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मास्टर के प्राधिकार के विरुद्ध विद्रोह या विद्रोह करने के लिए षडयंत्र;

26. शपथ-भंग और शपथ-भंग के लिए प्रेरणा;

27. सम्पत्ति को विद्वेषपूर्ण क्षति करना, यदि अपराध अभ्यारोप्य है;

28. वास्तविक शारीरिक अपहानि पहुंचाने वाला हमला विद्वेषपूर्ण क्षति पहुंचाना या घोर शारीरिक अपहानि पहुंचाना;

29. दोनों राज्यों की विधियों द्वारा दण्डनीय दास व्यापार के संबंध में अपराध;

30. अपहानिकर औषधियों का अवैध व्यापार, जिसके संबंध में अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में अपहानिकर औषधियों के अवैध व्यापार के दमन के लिए उपबन्ध किया गया है जिस पर जिनेवा में 26 जून, 1936 को हस्ताक्षर किए गए थे:

परन्तु ऐसा अभ्यर्पण तभी किया जाएगा जब, किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में, अपराध का किया जाना इस प्रकार सिद्ध कर दिया जाए कि उस देश की विधियां जहां प्रपलायी या अभियुक्त व्यक्ति पाया जाए, उसके पकड़े जाने को और विचारण के लिए उसकी सुपुर्दगी को न्यायोचित ठहराए यदि अपराध वहां किया गया था और किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसके बारे में यह अभिकथन किया जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य पर सिद्धदोष ठहराया गया है जिससे, ऐसे देश की विधियों के अनुसार जहां वह पाया जाता है, यह साबित हो जाए कि वह सिद्धदोष ठहराया गया था।

किसी भी मामले में तब तक अभ्यर्पण नहीं किया जा सकता है जब तक ऐसा अपराध प्रत्यर्पण के संबंध में दोनों देशों में प्रवृत्त विधियों के अनुसार दंडनीय नहीं है।

किसी भी मामले में या किसी भी बात के आधार पर, उच्च संविदाकारी पक्षकार जन्म या देशीयकरण द्वारा अपने प्रजाजनों का अभ्यर्पण करने के लिए आबद्ध नहीं होंगे।

II. हिज ब्रिटेनिक मजेस्टी की डोमिनियनों में जो हिज मजेस्टी की कालोनियों या विदेशी कब्जाधीन क्षेत्रों से भिन्न हैं, कार्यवाही की रीति निम्नलिखित होगी:

1. किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में:—

अभ्यर्पण के लिए अध्यापेक्षा हिज ब्रिटेनिक मजेस्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ स्टेट फार फॉरेन अफेयर्स को हिज मजेस्टी दि किंग आफ दि बेल्जियम के मिनिस्टर या अन्य राजनयिक अभिकर्ता द्वारा की जाएगी जिस के साथ बेल्जियम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कार्यों का संज्ञान करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट या अन्य समतुल्य वारंट साथ ही ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर लिए गए सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित ऐसे अभिसाक्ष्य या कथन हों जिनमें उक्त कार्य

स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हों तथा जिनमें दावाकृत व्यक्ति का वर्णन और ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट हों जिनसे उसकी पहचान की जा सके।

उक्त सेक्रेटरी आफ स्टेट ऐसी दस्तावेजों को हिज ब्रिटेनिक मजेस्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ स्टेट फार दि होम डिपार्टमेंट को पारेषित करेगा वह तब अपने हस्ताक्षर सहित मुद्रा के अधीन आदेश द्वारा लन्दन में किसी पुलिस मजिस्ट्रेट को संज्ञापित करेगा कि ऐसी अध्यपेक्षा की गई है और यदि कोई सम्यक हेतुक है तो उससे प्रपलायी को पकड़ने के लिए वारंट जारी करने की अपेक्षा करेगा।

सेक्रेटरी आफ स्टेट से ऐसा आदेश प्राप्त करने पर और ऐसा साक्ष्य पेश करने पर जिससे मजिस्ट्रेट की राय में वारंट का जारी किया जाना न्यायोचित है। यदि ऐसा अपराध यूनाइटेट किंगडम में किया गया था तो वह तदनुसार वारंट जारी करेगा।

जब प्रपलायी को पकड़ लिया जाएगा तब वह किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। यदि तब पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा होगा जिससे कैदी की विचारण के लिए सुपुर्दगी, इंग्लैंड की विधि के अनुसार न्यायोचित ठहराई जा सके। यदि कोई अपराध जिसके लिए वह अभियुक्त है, इंग्लैंड में किया गया था तो मजिस्ट्रेट उसके अभ्यर्पण के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वारण्ट की प्रतीक्षा करते हुए उसे कारागार को सुपुर्द कर देगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सुपुर्दगी का प्रमाणपत्र और उस मामले के संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत भेजेगा।

कैदी की सुपुर्दगी से किसी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कभी भी पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी, सेक्रेटरी आफ स्टेट के हस्ताक्षर सहित मुद्रा के अधीन आदेश द्वारा प्रपलायी अपराधी को ऐसे व्यक्ति के समक्ष अभ्यर्पित होने के लिए आदेश देगा जो हिज मजेस्टी दि किंग आफ दि बेल्जियम की सरकार की ओर से उसको ग्रहण करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाए।

2. किसी सिद्धदोष व्यक्ति की दशा में--

कार्यवाही उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वह किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में की जाती है सिवाय तब के जब मिनिस्टर या अन्य राजनयिक अभिकर्ता द्वारा अध्यपेक्षा के समर्थन में पारेषित किए जाने वाले वारण्ट में ऐसा अपराध स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा जिसके लिए दावाकृत व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और उसमें उसके सिद्धदोष ठहराए जाने का तथ्य, स्थान और तारीख उल्लिखित की जाएगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा होगा जिससे, इंग्लैंड की विधि के अनुसार यह साबित किया जाएगा कि कैदी आरोपित अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया था।

मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को उसके र के लिए सेक्रेटरी आफ स्टेट के आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए सुपुर्द किए जाने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति को बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। यदि वह इस प्रकार आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्पण रिट संबंधी रिटर्न पर न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए जाने तक आस्थगित किया जाएगा और वह तभी प्रभावी होगा जब विनिश्चय आवेदक के प्रतिकूल है।

III. हिज मजेस्टी दि किंग आफ दि बेल्जियंस की डोमिनियनों में जो हिज मजेस्टी की कालोनियों या विदेशी कब्जाधीन क्षेत्रों से भिन्न हैं, कार्यवाही की रीति निम्नलिखित होगी

1. किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में--

अभ्यर्पण के लिए अध्यपेक्षा हिज मजेस्टी दि किंग आफ दि बेल्जियन्स के मिनिस्टर फार फारेन अफेयर्स को हिज ब्रिटेनिक मजस्टी के मिनिस्टर या अन्य राजनयिक अभिकर्ता द्वारा की जाएगी जिसके साथ ग्रेट ब्रिटेन में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कार्यों का संज्ञान करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारण्ट या अन्य समतुल्य वारण्ट साथ ही ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर लिए गए सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित ऐसे अभिसाक्ष्य या कथन हों जिनमें उक्त कार्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हों तथा जिनमें दावाकृत व्यक्ति का वर्णन और ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट हों जिनसे उसकी पहचान की जा सके।

मिनिस्टर फार फारेन अफेयर्स, मिनिस्टर आफ जस्टिस को गिरफ्तारी वारण्ट, उससे उपाबद्ध दस्तावेजों सहित पारेषित करेगा जो उसे समुचित न्यायिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिससे कि गिरफ्तारी वारण्ट अभिकर्ता के निवास-स्थान के या ऐसे स्थान के जहां वह पाया जाए, प्रथम बार के न्यायालय के चैम्बर आफ दि काउंसिल, (चैम्बरे डु कौंसिल) द्वारा निष्पादित किया जा सके।

विदेशी, किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई बेल्जियन ऐसे अधिकार का उपभोग करता है, और ऐसे शर्त के अधीन अनन्तिम रूप से मुक्त किए जाने का दावा कर सकेगा।

आवेदन चैम्बर आफ दि काउंसिल (चैम्बरे डु कौन्सिल) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार, ऐसे अपील न्यायालय के जिसकी अधिकारिता के भीतर विदेशी गिरफ्तार किया जाए, चैम्बर आफ इंडिक्टमेंट्स और इन्वैस्टिगेशन्स (चैम्बरे डेस माइजेज एन एक्यूजेशन) की राय प्राप्त करेगी।

मामले की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी, जब तक कि विदेशी यह मांग न करे कि वह बंद कमरे में की जाए।

लोक प्राधिकारियों और विदेशी की सुनवाई की जाएगी। पश्चात् कथित काउन्सेल की सहायता ले सकेगा --

दस्तावेजों की प्राप्ति से एक पखवाड़े के भीतर वे युक्तियुक्त राय के साथ, मिनिस्टर आफ जस्टिस को लौटाई जाएंगी जो यह विनिश्चय करेगा और यह आदेश दे सकेगा कि अभियुक्त को ऐसे व्यक्ति को परिदान किया जाए जो हिज ब्रिटेनिक मजेस्टी की सरकार की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाए।

2. किसी सिद्धदोष व्यक्ति की दशा में—

कार्यवाही उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वह किसी अभियुक्त व्यक्ति की दशा में की जाती है सिवाय तब के जब कि दोषसिद्धि या जारी किए गए दोषसिद्धि के दंडादेश, में, जो मूल रूप से या उसकी अधिप्रमाणित प्रति में, मिनिस्टर या अन्य राजनयिक अभिकर्ता द्वारा अपनी अध्यपेक्षा के समर्थन में पारेषित किया जाना है, ऐसा अपराध स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा जिसके लिए दावाकृत व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और उसमें उसके सिद्धदोष ठहराए जाने का तथ्य, स्थान और तारीख उल्लिखित की जाएगी। पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा होगा जिससे बेल्जियन की विधियों के अनुसार, यह साबित किया जाएगा कि कैदी आरोपित अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया था।

IV. प्रपलायी अपराधी, दोनों देशों में से किसी देश में, ऐसी सूचना या परिवाद और ऐसे साक्ष्य पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों के पश्चात् किसी पुलिस मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दि पीस या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के अधीन पकड़ा जा सकेगा जिनसे, वारंट जारी करने वाले व्यक्ति की राय में, वारंट का जारी किया जाना न्यायोचित ठहराया जाएगा यदि दोनों संविदाकारी पक्षकारों की डोमिनियनों के किसी ऐसे भाग में जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, अपराध किया गया था, या कैदी सिद्धदोष ठहराया गया था : परन्तु, यूनाइटेड किंगडम में, अभियुक्त को ऐसे मामले में यथासंभव शीघ्रता से किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाएगा। उसका यूनाइटेड किंगडम में और बेल्जियम में, उन्मोचन किया जाएगा यदि चौदह दिन के भीतर इस संधि के अनुच्छेद ii और iii द्वारा निर्दिष्ट रीति से, अपेक्षा करने वाले राज्य के राजनयिक अभिकर्ता द्वारा, उसके अभ्यर्पण के लिए कोई अध्यपेक्षा नहीं की गई हो।

यही नियम ऐसे व्यक्तियों के मामलों में लागू होगा जो किसी ऐसे अपराधों के लिए अभियुक्त हैं या सिद्धदोष ठहराए गए हैं जो इस संधि में विनिर्दिष्ट हैं और दोनों देशों में से किसी देश में खुले समुद्र में ऐसे जलयान के फलक पर किए गए हैं जो दूसरे देश के पत्तन में आए।

V. यदि दो मास के भीतर जिसकी गणना गिरफ्तारी की तारीख से की जाएगी, प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किया जाएगा तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार वह तब मुक्त किया जाएगा जब, ऐसे दिन से दो मास के भीतर, जिसको वह राजनयिक अभिकर्ता को सुपुर्द किया गया था, वह वापस मांगने वाले देश को नहीं भेज दिया गया है।

VI. जब किसी व्यक्ति का उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पण किया जाएगा तब वह व्यक्ति, जब तक वह उस देश को वापस नहीं आया है जिस से उसका प्रत्यर्पण किया गया था तब तक, या जब तक उसको उस देश को वापस आने का अवसर प्राप्त है तब तक, ऐसे राज्य में निरुद्ध नहीं किया जाएगा या उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसको वह प्रत्यार्पण से पहले किसी अपराध के लिए या किसी अन्य आरोप के कारण सौंपा गया है, सिवाय उनके जिनका प्रत्यर्पण किया गया है।

वह व्यक्ति, जब तक उसको उस देश को वापस आने का अवसर प्राप्त है जिससे उसका प्रत्यार्पण किया गया है तब तक, किसी अन्य राज्य को नहीं सौंपा जाएगा।

VII. किसी भी अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति का अभ्यार्पण नहीं किया जाएगा यदि वह अपराध जिसकी बाबत उसके अभ्यार्पण की मांग की जाती है, ऐसे पक्षकार द्वारा जिसको वह मांग की जाती है, राजनीतिक अपराध या ऐसे अपराध से संबंधित ("कनेक्से ए") कोई कार्य माना जाएगा या यदि वह मजिस्ट्रेट के, या न्यायालय के, जिसके समक्ष वह बंदी प्रत्क्षीकरण के लिए लाया जाता है या सेक्रेटरी आफ स्टेट के, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसके अभ्यार्पण के लिए अध्यपेक्षा वास्तव में राजनीतिक प्रकृति के किसी अपराध के लिए उसका विचारण करने या उसको दण्डित करने की दृष्टि से की गई है।

VIII. वारण्ट, अभिसाक्ष्य या शपथ पर किए गए कथन जो दोनों उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से किसी की डोमिनियनों में जारी किए गए या लिए गए हैं, और उनकी प्रतियां तथा दोषसिद्धि के प्रमाणपत्र या दोषसिद्धि के तथ्य को उल्लिखित करने वाली न्यायिक दस्तावेजें दूसरे देश की डोमनियों में कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में ली जाएंगी, यदि वे उस देश के जहां, वे जारी किए गए थे, या लिए गए थे, किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई तात्पर्यित हैं :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे वारण्ट, अभिसाक्ष्य, कथन, प्रतियां, प्रमाणपत्र और न्यायिक दस्तावेजें किसी साक्षी की शपथ या सत्यनिष्ठ संज्ञान द्वारा अथवा मिनिस्टर आफ जस्टिस या किसी अन्य मिनिस्टर आफ स्टेट की शासकीय मुद्रा द्वारा मुद्रांकित करके अधिप्रमाणित की जाती हैं।

IX. अभ्यार्पण नहीं किया जाएगा यदि आरोपित कार्यों के किए जाने, अभियोग लगाए जाने या सिद्धदोष ठहराए जाने के दिन से ही, ऐसे अभियोजन या दण्ड से छूट, समय के बीत जाने पर, ऐसे देश की जहां अभियुक्त ने शरण ली है, विधि के अनुसार अर्जित कर ली है।

X. यदि विद्यमान संधि के अनुसरण में दोनों उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा दावाकृत व्यष्टि के बारे में एक या कई अन्य शक्तियों (देशों) द्वारा

भी उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में किए गए अन्य अपराध के कारण मांग की जाएगी तो उसका अभ्यर्पण ऐसे राज्य को जो सबसे पहले ऐसी मांग करेगा तब तक किया जाएगा जब तक ऐसे राज्यों के बीच कोई अन्य ठहराव नहीं किया जाता है, जिन्होंने उसके बारे में, किए गए अपराधों की गम्भीरता के कारण या किसी अन्य कारण से, दावा किया है।

XI. यदि दावाकृत व्यष्टि किसी आदेशिका के अधीन है या ऐसे देश के न्यायालयों द्वारा जहां उसने शरण ली है, सिद्धदोष ठहराया गया है तो उसका अभ्यर्पण तब तक आस्थगित किया जा सकेगा जब तक वह विधि के सम्यक् अनुक्रम में मुक्त नहीं किया जाता है।

यदि प्राइवेट व्यष्टियों के प्रति उपगत बाध्यताओं के कारण ऐसे देश में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है या वह निरुद्ध किया जाता है तो उसका अभ्यर्पण ऐसा होने पर भी किया जाएगा कि क्षतिग्रस्त पक्ष ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने दावों को अभियोजित करने का अपना अधिकार प्रतिधारित कर रखा है।

XII. दावाकृत व्यष्टि की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे में पाई गई प्रत्येक वस्तु का, यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा विनिश्चय करे तो, उसका अभ्यर्पण किए जाने के समय उसके शरीर के साथ परिदत्त किए जाने की दृष्टि से अभिग्रहण किया जाएगा। ऐसा परिदान ऐसी सम्पत्ति और वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होगा जो चोरी द्वारा या कपटपूर्ण दिवाले द्वारा प्राप्त की गई हैं किन्तु उसका विस्तार ऐसी प्रत्येक चीज पर होगा जो अपराध के सबूत के रूप में उपयोगी सिद्ध हो। ऐसा परिदान तब भी किया जाएगा जब ऐसा अभ्यर्पण, आदिष्ट किए जाने के पश्चात्, दावाकृत व्यष्टि के निकल भागने या उसकी मृत्यु के कारण नहीं किया जा सकता है।

उक्त सम्पत्ति या वस्तुओं के संबंध में अन्य पक्षकारों के अधिकार ऐसा होने पर भी, आरक्षित हैं।

XIII. उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार ऐसे व्यक्तियों की जिनके बारे में वह विद्यमान सन्धि के अनुसरण में अभ्यर्पण करने की सहमति दे, अपने राज्यक्षेत्र के भीतर गिरफ्तारी, निरोध और अपनी सीमा तक प्रवहण के संबंध में हुए व्ययों को पूरा करेगा।

XIV. विद्यमान संधि के अनुबन्ध दोनों उच्च संविदाकारी पक्षकारों की कालोनियों या विदेशी कब्जाधीन क्षेत्रों को लागू होंगे।

ऐसे प्रपलायी अपराधी के जिसने दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की किसी कालोनी या विदेशी कब्जाधीन क्षेत्र में शरण ली है, अभ्यर्पण के लिए अध्यपेक्षा ऐसी कालोनी या कब्जाधीन क्षेत्र में दूसरे पक्षकार के मुख्य कौंसलीय अधिकारी द्वारा ऐसी कालोनी या कब्जाधीन क्षेत्र के गवर्नर या मुख्य प्राधिकारी को की जाएगी या यदि प्रपलायी ऐसे पक्षकार की जिसकी ओर से अध्यपेक्षा की जाती है, किसी कालोनी या विदेशी कब्जाधीन क्षेत्र से निकल भागा है तो वह अध्यपेक्षा ऐसी कालोनी या कब्जाधीन क्षेत्र के गवर्नर या मुख्य प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऐसी अध्यपेक्षाओं का निपटारा, ऐसे संबंधित गवर्नरों या मुख्य प्राधिकारियों द्वारा जो अभ्यर्पण को मंजूर करने या अपनी सरकार को उस मामले को निर्देशित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, इस संधि के उपबंधों के, जहां तक संभव हो सके, सदैव अधीन रहते हुए, किया जा सकेगा।

हिज ब्रिटेनिक मेजेस्टी विद्यमान संधि के उपबंधों के, जहां तक संभव हो सके, आधार पर, ऐसे बेल्जियन अपराधियों के जो वहां शरण लें, अभ्यर्पण के लिए ब्रिटिश कालोनियों और विदेशी कब्जाधीन क्षेत्रों में विशेष प्रबन्ध करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

XV. विद्यमान संधि, संबंधित देशों की विधियों के अनुरूप उसके प्रकाशन के पश्चात् दस दिन में प्रवर्तन में आएगी।

उस दिन से जब विद्यमान संधि प्रवर्तन में आएगी, तारीख 20 मई, 1876 को दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि; तारीख 20 मई, 1876 की संधि का कुछ अतिरिक्त अपराधों पर विस्तारण करने वाली तारीख 23 जुलाई, 1877 की ब्रिटिश और बेल्जियम सरकार के बीच घोषणा; तारीख 20 मई, 1876 की संधि के अनुच्छेद-1 का संशोधन करने वाली ता० 21 अप्रैल, 1887 की अतिरिक्त घोषणा; और तारीख 20 मई, 1876 की संधि का और संशोधन करने वाला तारीख 27 अगस्त, 1896 का कन्वेंशन, सभी प्रभावहीन हो जाएंगे; किन्तु विद्यमान संधि ऐसे सभी अपराधों को लागू होगी जो इस संधि के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे उस दिन से पहले या उसके पश्चात् किए गए हों जब यह प्रवृत्त होती है।

दोनों में से कोई पक्षकार, दूसरे पक्षकार को अपने आशय की छह मास की सूचना देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है।

XVI. विद्यमान संधि का अनुसमर्थन किया जाएगा और ऐसे अनुसमर्थनों का, जहां तक हो सके, हस्ताक्षर की तारीख से छह सप्ताह के भीतर ब्रूसेल्स में आदान-प्रदान किया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप संबंधित सर्वाधिकार प्राप्त पक्षकारों ने इस पर 29 अक्तूबर, 1901 को ब्रूसेल्स हमें अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस पर अपनी-अपनी मुद्राएं लगा दी हैं।"

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के, अध्याय 3 से भिन्न, उपबंध, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख को या उससे बेल्जियम को लागू होंगे।

[फा० सं० एल/413/3/83]

डा० आर० के० दीक्षित
निर्देशक (एल और टी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal and Treaties Division)

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1983

G.S.R. 585(E).—Whereas the treaty between Great Britain and Belgium for the Mutual Extradition of Fugitive Criminals of 29 October, 1901 as amended by the Conventions dated 5 March, 1907 and 3 March, 1911 and by Exchange of Letters dated 30th May, 1958 and 30th December, 1958 on the subject between the two countries are considered to be in force between India and Belgium by the Exchange of Letters dated 3 August, 1954 and 6 November, 1954 and the said treaty provides as follows :—

"ART. I. It is agreed that His Britannic Majesty and His Majesty the King of the Belgians shall, on requisition made in their name by their respective Diplomatic Agents, deliver on to each other reciprocally, under the circumstances and conditions stated in the present Treaty, any persons who, being accused or convicted, as principals or accessories, of any of the crimes hereinafter specified, committed within the territories of the requiring Party, shall be found within the territories of the other Party :

1. Murder (including assassination, parricide, infanticide, poisoning), or attempt, or conspiracy to murder, in cases jointly provided for by the laws of the two countries;

2. Administering drugs or using instruments with intent to procure the miscarriage of women;

3. Manslaughter;

4. Bigamy;

5.—(a) Counterfeiting or altering money, or uttering counterfeit or altered money;

(b) Knowingly making, without lawful authority, any instrument, tool, or engine adapted and intended for the counterfeiting of the coin of the realm;

6. Abandoning children, exposing or unlawfully detaining them;

7. Forgery, counterfeiting, or altering or uttering what is forged, or counterfeited, or altered;

8. Any malicious act done with intent to endanger persons in a railway train;

9. Embezzlement or larceny;

10. Receiving any chattel, money, valuable security, or other property, knowing the same to have been embezzled, stolen, or feloniously obtained;

11. Obtaining money, goods, or valuable securities by false pretences;

12. Crimes by bankrupts against bankruptcy law;

13. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director, or member or public officer of any company made criminal by any law for the time being in force;

14. Rape;

Carnal knowledge, or any attempt to have carnal knowledge, of a girl under 16 years of age so far as such acts are punishable by the la wof the State upon which the demand is made;

Indecent assault. Indecent assault without violence upon children of either sex under 13 years of age;

15. Abduction;

16. Child stealing;

17. Kidnapping and false imprisonment;

18. Burglary or housebreaking;

19. Arson;

20. Robbery with violence (including intimidation) ;

21. Threats by letter or otherwise, with intent to extort;

22. Piracy by law of nations;

23. Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting or conspiring to do so;

24. Assaults on board a ship on the high seas with intent to destroy life or to do grievous bodily harm;

25. Revolt or conspiracy to revolt, by two or more persons, on board a ship on the high seas against the authority of the master;

26. Perjury and subornation of perjury;

27. Malicious injury to property, if the offence be indictable;

28. Assault occasioning actual bodily harm. Malicious wounding, or inflicting grievous bodily harm;

29. Offences in connection with the Slave Trade punishable by the laws of both States;

30. Illicit traffic in harmful drugs, such as is provided for in Article 2 of the International Convention for the repression of illicit traffic in harmful drugs, signed at Geneva on the 26th of June, 1936 :

Provided that the surrender shall be made only when, in the case of a person accused, the commission of the crime shall be so established as that the laws of the country where the fugitive or

person accused shall be found would justify his apprehension and commitment for trial if the crime had been there committed, and in the case of a person alleged to have been convicted, on such evidence as, according to the laws of the country where he is found, would prove that he had been convicted.

In no case can the surrender be made unless the crime shall be punishable according to the laws in force in both countries with regard to extradition.

In no case, nor on any consideration whatever, shall the High Contracting Parties be bound to surrender their own subjects, whether by birth or naturalization.

II. In the dominions of His Britannic Majesty, other than the Colonies or foreign possessions of His Majesty, the manner of proceeding shall be as follows :

In the case of a person accused—

The requisition for the surrender shall be made to His Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs by the Minister or other Diplomatic Agent of His Majesty the King of the Belgians, accompanied by a warrant of arrest or other equivalent judicial document issued by a Judge or Magistrate duly authorised to take cognizance of the acts charged against the accused in Belgium, together with duly authenticated depositions or statements taken on oath or upon solemn affirmation before such Judge or Magistrate, clearly setting forth the said acts, and containing a description of the person claimed, and any particulars which may serve to identify him.

The said Secretary of State shall transmit such documents to His Britannic Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department, who shall then by order under his hand and seal, signify to some Police Magistrate in London that such requisition has been made, and require him, if there be due cause, to issue his warrant for the apprehension of the fugitive.

On the receipt of such order from the Secretary of State, and on the production of such evidence as would, in the opinion of the Magistrate, justify the issue of the warrant if the crime had been committed in the United Kingdom, he shall issue his warrant accordingly.

When the fugitive shall have been apprehended, he shall be brought before a competent Magistrate. If the evidence to be then produced shall be such as to justify, according to the law of England, the commital for trial of the prisoner, if the crime of which he is accused had been committed in England, the Magistrate shall commit him to prison to await the warrant of the Secretary of State for his surrender, sending immediately to the Secretary of State a certificate of the commital and a report upon the case.

After the expiration of a period from the commital of the prisoner, which shall never be less than fifteen days, the Secretary of State shall, by order under his hand and seal, order the fugitive criminal to be surrendered to such person as may be duly authorised to receive him on the part of the Government of His Majesty the King of the Belgians.

2. In the case of a person convicted—

The course of proceeding shall be the same as in the case of person accused, except that the warrant to be transmitted by the Minister or other Diplomatic Agent in support of his requisition shall clearly set forth the crime of which the person claimed has been convicted, and state the fact, place, and date of his conviction. The evidence to be produced before the Magistrate shall be such as would, according to the law of England, prove that the prisoner was convicted of the crime charged.

After the Magistrate shall have committed the accused or convicted person to await the order of a Secretary of State for his surrender, such person shall have the right to apply for a writ of habeas corpus; if he should so apply his surrender must be deferred until after the decision of the Court upon the return to the writ, and even then can only take place if the decision is adverse the applicant.

III. In the dominions of His Majesty the King of the Belgians, other than the Colonies or foreign possessions of His said Majesty, the manner of proceeding shall be as follows :

1. In the case of a person accused—

The requisition for the surrender shall be made to the Minister for Foreign Affairs of His Majesty the King of the Belgians by the Minister or other Diplomatic Agent of His Britannic Majesty, accompanied by a warrant of arrest or other equivalent judicial document issued by a Judge or Magistrate duly authorised to take cognizance of the acts charged against the accused in Great Britain, together with duly authenticated depositions or statements taken on oath or upon solemn affirmation before such Judge or Magistrate, clearly setting forth the said acts, and containing a description of the person claimed, and any other particulars which may serve to identify him.

The Minister for Foreign Affairs shall transmit the warrant of arrest, with the documents thereto annexed, to the Minister of Justice, who shall forward the same to the proper judicial authority, in order that the warrant of arrest may be put in course of execution by the Chamber of the Council (Chambre du Conseil) of the Court of First Instance of the place of residence of the accused, or of the place where he may be found.

The foreigner may claim to be provisionally set at liberty in any case in which a Belgian enjoys that right, and under the same conditions.

The application shall be submitted to the Chamber of the Council (Chambre du conseil).

The Government will take the opinion of the Chamber of Indictments or Investigation (Chambre des Mises en Accusation) of the Court of Appeal within whose jurisdiction the foreigner shall have been arrested.

The hearing of the case shall be public, unless the foreigner should demand that it should be with closed doors.

The public authorities and the foreigner shall be heard. The latter may obtain the assistance of counsel.

Within a fortnight from the receipt of the documents they shall be returned, with a reasoned opinion, to the Minister of Justice, who shall decide and may order that the accused be delivered to the person duly authorized on the part of the Government of His Britannic Majesty.

2. In case of a person convicted—

The course of proceeding shall be the same as in the case of a person accused, except that the conviction or sentence of condemnation issued in original or in an authenticated copy, to be transmitted by the Minister or other Diplomatic Agent in support of his requisition, shall clearly set forth the crime of which the person claimed has been convicted, and state the fact, place, and date of his conviction. The evidence to be produced shall be such as would, according to the Belgian laws, prove that the prisoner was convicted of the crime charged.

IV. A fugitive criminal may, however, be apprehended under a warrant signed by any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority, in either country, on such information or complaint, and such evidence, or after such proceedings as would, in the opinion of the person issuing the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed, or the prisoner convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which he exercises jurisdiction : Provided, however, that, in the United Kingdom, the accused shall in such case be sent as speedily as possible before a competent Magistrate. He shall be discharged, as well in the United Kingdom as in Belgium, if within fourteen days a requisition shall not have been made for his surrender by the Diplomatic Agent of the requiring State in the manner directed by Articles II and III of this Treaty.

The same rule shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the crimes specified in this Treaty, and committed on the high seas on board any vessel of either country which may come into a port of the other.

V. If within two months, counting from the date of arrest, sufficient evidence for the extradition shall not have been presented, the person arrested shall be set at liberty. He shall likewise be sent at liberty if, within two months of the day on which he was placed at the disposal of the Diplomatic Agent, he shall not have been sent off to the reclaiming country.

VI. When a person shall have been extradited by one of the High Contracting Parties, that person, until he has returned to the country from which he had been extradited, or until he has had an opportunity of returning to it, shall not be detained or brought to justice in the State to which he has been handed over for any crime or on any other charge whatever prior to the extradition, except those in respect of which the extradition has been accorded.

Neither shall that person, until he has had an opportunity of returning to the country from which he has been extradited, be handed over to a third State.

VII. No accused or convicted person shall be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded shall be deemed by the party upon which it is made to be a political offence, or to be an act connected with ("connexe a") such an offence, or if he proves to the satisfaction of the Magistrate, or of the Court before which he is brought on habeas corpus, or to the Secretary of State, that the requisition for his surrender has in fact been made with a view to try or to punish him for an offence of a political character.

VIII. Warrants, depositions, or statements on oath, issued or taken in the dominions of either of the two High Contracting Parties, and copies thereof, and certificates of or judicial documents stating the fact of conviction, shall be received in evidence in proceedings in the dominions of the other, if purporting to be signed or certified by a Judge, Magistrate, or officer of the country where they were issued or taken :

Provided such warrants, depositions, statements, copies, certificates, and judicial documents are authenticated by the oath or solemn affirmation of some witness, or by being sealed with the official seal of the Ministry of Justice, or some other Minister of State.

IX. The surrender shall not take place if, since the commission of the acts charged, the accusation, or the conviction, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time according to the laws of the country where the accused shall have taken refuge.

X. If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several

other Powers, on account of other crimes committed upon their respective territories, his surrender shall be granted to that State whose demand is earliest in date; unless any other arrangement should be made between the Governments which have claimed him, either on account of the gravity of the crimes commited, or for any other reasons.

XI. If the individual claimed should be under process, or condemned by the Courts of the country where he has taken refuge, his surrender may be deferred until he shall have been set at liberty in due course of law.

In case he should be proceeded against or detained in such country on account of obligations contracted towards private individuals, his surrender shall nevertheless, take place, the injured party retaining his right to prosecute his claims before the competent authority.

XII. Every article found in possession of the individual claimed at the time of his arrest shall, if the competent authority so decide, be seized, in order to be delivered up with his person at the time when the surrender shall be made. Such delivery shall not be limited to the property or articles obtained by stealing or by fraudulent bankruptcy, but shall extend to everything that may serve as proof of the crime. It shall take place even when the surrender, after haing been ordered, shall be prevented from taking place by reason of the escape or death of the individual claimed.

The rights of third parties with regard to the said property or articles are, nevertheless, reserved.

XIII. Each of the High Contracting Parties shall defray the expenses occasioned by the arrest within its territories, the detention, and the conveyance to its frontier, of the persons whom it may consent to surrender in pursuance of the present Treaty.

XIV. The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign possessions of the two High Contracting Parties.

The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in a Colony or foreign possession of either Party shall be made to the Governor or Chief authority of such Colony or possession by the chief Consular officer of the other in such Colony or possession; or, if the fugitive has escaped from a Colony or foreign possession of the Party on whose behalf the requisition is made, by the Governor or chief authority of such Colony or possession.

Such requisitions may be disposed of, subject always, as nearly as may be, to the provisions of this Treaty, by the respective Governors or chief authorities, who, however, shall be at liberary either to grant the surrender or to refer the matter to their Government.

His Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of Belgian criminals who may there take refuge, on the basis, as nearly as may be, of the provisions of the present Treaty.

XV. The present Treaty shall come into operation ten days after its publication, in conformity with the laws of the respective countries.

From the day when the present Treaty shall come into force, the Treaty of Extradition between the two countries of the 20th May, 1876; the Declaration between the British and Belgian Government, dated 23rd July, 1877, extending the Treaty of the 20th May, 1876, to certain additional crimes; the further Declaration of the 21st April, 1887, amending Article 1 of the Treaty of the 20th May, 1876; and the Convention of the 27th August, 1896, further amending the Treaty of the 20th May, 1876, shall all cease to have effect; but the present Treaty shall apply to all crimes within the Treaty, whether committed before or after the day when it comes into force.

Either Party may at any time terminate the Treaty on giving to the other six months' notice of its intention.

XVI. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Brussels as soon as may be within six weeks from the date of signature.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at Brussels, the 29th day of October in the year of our Lord 1901.".

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Belgium on and from the date of publication of this order.

[F. No. L|413|3|83]
Dr. R. K. DIXIT, Director
(L&T)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983